पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

लेटर्स पेटेंट अपील संख्या -631/2012

दीवानी याचिका अधिकारिता वाद संख्या-112/2010

में

==========

1. भारत संघ द्वारा सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली

3. उप सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली

4. अवर सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली

.... अपीलार्थी/गण

बनाम

1. सदानन्द पोद्दार, पुत्र- दिवंगत रामनाथ पोद्दार, निवासी-गाँव रतनगंज के निवासी, पोस्ट- सुकिता, थाना- गोपालपुर, जिला-भागलपुर, वर्तमान में निवासी मोहल्ला-32 गुरु सहाय लाल नगर, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, पटना-25

2. बिहार राज्य द्वारा गृह सचिव, बिहार सरकार, सचिवालय, बिहार, पटना

3. निदेशक सह संयुक्त सचिव, गृह (विशेष) विभाग, सचिवालय, बिहार, पटना

4. जिलाधिकारी, पटना

5. जिलाधिकारी, भागलपुर

.... प्रतिवादी/गण

==========

स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन-1980 की योजना के तहत-भारत संघ और उसके अधिकारियों ने 2010 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 1112 में विद्वान रिट अदालत द्वारा पारित दिनांक 04.08.2011 को चुनौती देते हुए इस अंतर-अदालत अपील को अपील की गई है-रिट अदालत ने माना था कि 1980 की योजना के तहत याचिकाकर्ता को स्वतंत्र

सैनिक सम्मान पेंशन से वंचित करने का दिनांक 18.09.2009 (अनुलग्नक-10) का आदेश कानूनी रूप से गलत था। अपीलार्थियों को आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर पेंशन बहाल करने और बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि पेंशन से इनकार करने का निर्णय योजना की आवश्यकताओं पर आधारित था-जिसमें प्राथमिक साक्ष्य की आवश्यकता शामिल थी, और इसकी अनुपस्थिति में, राज्य सरकार से अभिलेख की अनुपलब्धता का वैध प्रमाणपत्र। - - याचिकाकर्ता के दावे का मूल्यांकन उस योजना के अनुसार किया गया था जो निर्दिष्ट करती है कि प्राथमिक साक्ष्य के बिना, अभिलेख प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत ज्ञान प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता आवश्यक है। याचिकाकर्ता एक वैध एन. ए. आर. सी. प्रस्तुत करने में विफल रहा और प्रदान किए गए दस्तावेज दावे को साबित प्रस्तुत के लिए अपर्याप्त थे। – अपीलें कई निर्णयों पर निर्भर हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पेंशन दावों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पर्याप्तता और प्रामाणिकता सरकार में नए सिरे से दायरे में आती है, न कि अदालत के दायरे में। विद्वत रिट न्यायालय की भूमिका साक्ष्य के आधार पर अपने निर्णय को प्रतिस्थापित करना नहीं है, बल्कि-जैसे कि भारत संघ बनाम. आर.भी स्वामी उर्फ आर. वेल्लाईचामी, (1997) 9 एस. सी. सी. 446 में रिपोर्ट किया गया; मुकुंद लाल भंडारी और अन्य बनाम भारत संघ और ओ. आर. एस.ए. आई. आर. 193 एस. सी. 2127 में रिपोर्ट किया गया; भारत संघ बनाम मोहन सिंह जे. टी. 1996 में रिपोर्ट किया गया (8) एस. सी. 34

निजी प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि रिट अदालत ने सही निर्णय दिया है कि इस अदालत द्वारा अपीलकर्ताओं को पहले की रिट (अनुलग्नक-7) के माध्यम से दी गई स्वतंत्रता ने भारत सरकार को नई जांच शुरू करने के लिए अधिकृत नहीं किया क्योंकि भारत सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को पेंशन देने के बाद से लगभग एक दशक की अवधि बीत चुकी थी।

अभिनिर्धारित किया समीक्षा पर,-केंद्र सरकार का आदेश तर्कपूर्ण था और स्पष्ट साक्ष्य संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित था। - विद्वत रिट अदालत का आदेश को पलटने और पेंशन की बहाली का आदेश देना उचित नहीं था क्योंकि केंद्र सरकार ने योजना के अनुसार दावे के सभी पहलुओं पर विधिवत विचार किया था।

नतीजतन, अपील स्वीकृत की जाती है-2010 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 1112 में रिट अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है-रिट आवेदन को खारिज कर दिया जाता है।

आवेदन स्वीकार किया जाता है ।

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

लेटर्स पेटेंट अपील संख्या -631/2012

दीवानी याचिका अधिकारिता वाद संख्या-112/2010

में

==========

1. भारत संघ द्वारा सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली

3. उप सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली

4. अवर सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. सदानन्द पोद्दार, पुत्र- दिवंगत रामनाथ पोद्दार, निवासी-गाँव रतनगंज के निवासी, पोस्ट- सुकिता, थाना- गोपालपुर, जिला-भागलपुर, वर्तमान में निवासी मोहल्ला-32 गुरु सहाय लाल नगर, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, पटना-25।

2. बिहार राज्य द्वारा गृह सचिव, बिहार सरकार, सचिवालय, बिहार, पटना

3. निदेशक सह संयुक्त सचिव, गृह (विशेष) विभाग, सचिवालय, बिहार, पटना

4. जिलाधिकारी, पटना

5. जिलाधिकारी, भागलपुर

.... प्रतिवादीगण

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री अरुण कुमार अरुण

प्रतिवादि/यों के लिए : श्री

==========

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

मौखिक निर्णय

(द्वाराः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

तारीखः 12-04-2018

भारत संघ और उसके अधिकारियों ने 2010 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं० 1112 में विद्वान रिट न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.08.2011 के आदेश को रद्द करने के लिए इस अंतर-अदालत अपील को अपील की गई है, जिसके द्वारा रिट न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की प्रार्थनाओं को स्वीकार करने की अनुमति दी है, जिसमें कहा गया है कि दिनांक 18.09.2009 के आदेश रिट आवेदन के अनुलग्नक-10 में निहित 1980 की योजना के तहत याचिकाकर्ता को स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन से वंचित करने वाले रिट आवेदन पर कानून की दृष्टि से गलत है, इसलिए अपीलकर्ताओं को याचिकाकर्ता की पेंशन को तुरंत बहाल करने और आदेश की प्राप्ति/प्रति पेश करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है।

2. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने रिट आवेदन के अनुलग्नक-10 में निहित भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अवर सचिव के हस्ताक्षर के तहत जारी 18 सितंबर, 2009 का तर्कपूर्ण आदेश हमारे सामने रखा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इससे पहले 2005 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं० 7136 की सुनवाई करते हुए रिट न्यायालय ने कहा था कि याचिकाकर्ता जिसे पहले पेंशन दी गई थी, उसे इस आधार पर इससे वंचित नहीं किया जा सकता है कि वह वर्ष 1942 में केवल 13 वर्ष का था जब कहा जाता है कि उसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, लेकिन ऐसा मानते हुए विद्वान रिट न्यायालय ने नीति के अनुसार मामले पर सख्ती से पुनर्विचार करने और एक नया आदेश पारित करने के लिए मामले को केंद्र सरकार को वापस भेज दिया। यह उक्त आदेश के अनुपालन में है कि संबंधित अधिकारियों ने योजना के संबंध में याचिकाकर्ता के मामले की जांच की, जिसके तहत यह विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि कोई भी आवेदक जो पीड़ित होने का दावा करता है वह पेंशन के अनुदान के लिए पात्र है बशर्ते वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हैः

*"**भूमिगत पीड़ाः** एक व्यक्ति जो स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी का विवरण छह महीने से अधिक समय तक गुप्त रहा, बशर्ते कि वहः*

ए. एक घोषित अपराधी थाः या

बी. जिसे गिरफ्तारी/सिर पर पुरस्कार की घोषणा की गई थी; या

ग. जिसकी नजरबंदी के लिए आदेश जारी किया गया था लेकिन उसकी तामील नहीं की गई थी।

भूमिगत पीड़ा के दावे को निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन माना जाता हैः-

*(i) **प्राथमिक साक्ष्यः** अदालत/सरकार के आदेशों के माध्यम से दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें आवेदक को भगोड़ा घोषित किया जाता है, उसके सिर पर पुरस्कार की घोषणा की जाती है या उसकी गिरफ्तारी या उसे हिरासत में रखने का आदेश दिया जाता है। गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर फरार होना मात्र करना एस. एस. एस. पेंशन देने के लिए एक योग्य पीड़ा नहीं है, जब तक कि घोषित अपराधी के आदेश/या गिरफ्तारी/सिर या निरोध आदेश पर पुरस्कार का पालन नहीं किया जाता है।*

*(ii) **द्वितीयक साक्ष्यः** प्राथमिक अभिलेख-आधारित साक्ष्य के अभाव में, संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से अभिलेख प्रमाण पत्र (एन. ए. आर. सी.) की गैर-उपलब्धता के साथ-साथ एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी से व्यक्तिगत ज्ञान प्रमाण पत्र (पी. के. सी.) जिसने कम से कम दो साल कारा में व्यतीत किया है और जो एक ही प्रशासनिक जिले से थे, उन्हें दावे के समर्थन में सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।*

स्वैच्छिक भूमिगत पीड़ा या पार्टी नेताओं की कमान में पार्टी के काम के लिए स्व-निर्वासन योजना के तहत पेंशन के लिए योग्य पीड़ा के रूप में शामिल नहीं है।

एन. ए. आर. सी. को तभी वैध माना जाता है जब इसे राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत किया जाता हैः-

"राज्य सरकार के सभी संबंधित अधिकारियों, जिनके पास आवेदक के दावे के संबंध में प्रासंगिक रिकॉर्ड हो सकते हैं, से परामर्श किया गया है और यह पुष्टि की गई है कि संबंधित समय के आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। "

केंद्रीय सम्मान पेंशन के दावों पर केंद्र सरकार द्वारा तभी विचार किया जा सकता है जब संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा उक्त योजना के प्रावधानों के अनुसार ऐसी सिफारिशों के आधार पर इनका विधिवत सत्यापन और सिफारिश की जाए। योजना के अनुसार, राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की सत्यापन और सिफारिश प्रतिवेदन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य है कि दावों के दस्तावेज और अन्य साक्ष्य राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के कब्जे में हैं न कि केंद्र सरकार के पास। हालांकि, यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि केंद्र सरकार को सभी दस्तावेजों/प्रतिवेदनों/साक्ष्यों को ध्यान में रखना होगा और केंद्र सरकार की स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना की पात्रता मानदंडों और प्रमाणिक आवश्यकताओं के अनुसार सख्ती से निर्णय लेना होगा। इसलिए, राज्य सरकार की एक सकारात्मक सिफारिश केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है (यदि दावा योजना में निर्धारित पात्रता मानदंडों और साक्ष्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है)। "

3. याचिकाकर्ता के दावे की जांच करने के बाद यह पाया गया कि वह पेंशन देने के योग्य नहीं था क्योंकि अदालत/सरकार के आदेश के माध्यम से कोई प्राथमिक सबूत नहीं था जिसमें आवेदक को भगोड़ा घोषित किया गया था, उसके सिर पर पुरस्कार की घोषणा की गई थी या उसकी गिरफ्तारी या उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ता सक्षम अधिकारियों से अभिलेख प्रमाण पत्र (एन. ए. आर. सी.) की वैध अनुपलब्धता प्रस्तुत करने में विफल रहा है, यानी राज्य सरकार जिसमें निर्धारित सभी सामग्री हैं, इसलिए वैध 'एन. ए. आर. सी.' के अभाव में माध्यमिक यानी व्यक्तिगत ज्ञान प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जा सकता है और यह स्वीकार्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने अभिलेख कक्ष दिनांकित 03.06.1986 से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था जिसे 'एन. ए. आर. सी.' के रूप में नहीं माना जा सकता है और जिस पर भरोसा किया जाना उचित नहीं पाया गया था। याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करते हुए अधिकारियों ने कहा कि भागलपुर अदालत के पंजीयक द्वारा बिहार के गृह विभाग के अवर सचिव को

लिखे गए पत्र में यह पाया जा सकता है कि चूंकि अभिलेख को नष्ट कर दिया गया था, इसलिए कोई अन्य जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रदान की गई जानकारी को याचिकाकर्ता द्वारा उल्लिखित मामले में व्यक्ति की भागीदारी की पुष्टि नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता ने उस मामले के विवरण का भी उल्लेख नहीं किया था जिसमें उसे गिरफ्तार किया गया था।

4. उपरोक्त कमियों के प्रकाश में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए जैसे **भारत संघ बनाम आर. वी. स्वामी @आर. वेल्लाईचामी 9 में (1997) एस. सी. सी. 446** में प्रतिवेदित विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैराग्राफ 9 और 10 में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि विभिन्न विचार जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दिए जाने की आवश्यकता है कि प्रतिवादी एक स्वतंत्रता सेनानी है, सबूत का शुद्ध मूल्यांकन है और उच्च न्यायालय प्रतिवादी को स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन देने का निर्देश देने में उचित नहीं था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तथ्यों पर ध्यान दिया कि स्वतंत्रता सेनानियों के दर्जे वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए निर्देश की मांग करने वाले न्यायालय के समक्ष हाल ही में बड़ी संख्या में मामले आ रहे थे लेकिन जो भारत सरकार को स्वीकार्य नहीं हैं।

5. भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की एक सीमा है। **मुकुंद लाल भंडारी और बनाम भारत संघ और अन्य ने ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 2127** में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः-

> "जहां तक प्रमाण की पर्याप्तता का संबंध है, योजना स्वयं उन दस्तावेजों का उल्लेख करती है जिन्हें सरकार के समक्ष पेश करने की आवश्यकता होती है। इस न्यायालय के लिए उन दस्तावेजों की जांच करना संभव नहीं है जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए थे और अपनी वास्तविकता पर निर्णय दिया था। ऐसा करना सरकार का काम है। इसलिए हम उसी के अनुसार निर्देश देंगे। "

6. **श्री बी. एम. राव बनाम् के मामले में यू. ओ. आई. और अन्य** के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1995 के सी. डब्ल्यू. पी. सं०.4368 में 12 अगस्त, 1998 के अपने आदेश में निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

"वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता प्रकृति और योजना द्वारा विचार किए गए तरीके का प्रमाण प्रस्तुत करके योजना के तहत पात्रता के लिए अपनी पात्रता साबित करने में विफल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा याचिकाकर्ता के दावे की अस्वीकृति को दोषपूर्ण नहीं पाया जा सकता है। "

7. पुनः **एच. पी. और एक अन्य बनाम श्रीमती जाफ्ल देवी 1997 (5) एस. सी. सी. 301** में प्रतिवेदित, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः-

"अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक लाभकारी योजना के संदर्भ में कि सरकार द्वारा निर्धारित नीति को केवल सहानुभूतिपूर्ण विचारों और कठिनाइयों के कारण अलग नहीं किया जाना चाहिए। "

8. अपीलार्थियों ने बैजनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य में सी०डब्लू०जे०सी० सं० 6752/1996 में विद्वत रिट न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 15.03.2000 के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है किः-

"प्रशासनिक निर्णय की न्यायिक समीक्षा करते समय, न्यायालय को अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नहीं बैठना चाहिए, और अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के स्थान पर अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करना चाहिए। ....."

9. आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ बनाम मोहन सिंह ने जे. टी. 1996 (8) एस. सी. 34 में प्रतिवेदित मामले में** आगाह किया कि केवल सरकार ही पेंशन का दावा करने के लिए पेश किए गए दस्तावेजों की वास्तविकता के बारे में बता सकती है और रिट अधिकार क्षेत्र के तहत उच्च न्यायालय सबूतों की पुनः सुनवाई शुरू नहीं करेगा।

10. उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील का यह तर्क है कि विद्वान रिट न्यायालय को पर्याप्त साक्ष्य और उसकी वास्तविकता के मुद्दे पर जाने की आवश्यकता नहीं थी, वह भी वर्तमान मामले के तथ्यों में जहां केंद्र सरकार के अधिकारियों ने योजना के तहत प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के आलोक में दस्तावेजों की जांच की थी और अनुलग्नक-10 जैसे तर्कपूर्ण आदेश पारित किए गए थे।

11. दूसरी ओर, निजी प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान रिट न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि इस अदालत द्वारा रिट आवेदन के अनुलग्नक-7 के माध्यम से अपीलार्थियों को दी गई स्वतंत्रता भारत सरकार को नई जांच शुरू करने के लिए अधिकृत नहीं करती है क्योंकि भारत सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को पेंशन दिए जाने के बाद लगभग एक दशक की अवधि बीत चुकी थी। विद्वत रिट न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह उत्तरदाताओं अर्थात भारत संघ के अधिकारियों का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कोई झूठी घोषणा की थी या झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे जो वास्तविक नहीं पाए गए थे। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि **आर. वी. स्वामी @आर. वेल्लाईचामी (ऊपर)** के मामले में, माननीय शीर्ष न्यायालय ने यद्यपि यह अभिनिर्धारित किया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत सामग्री की तुलना में योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना विशुद्ध रूप से साक्ष्य की सराहना है और उच्च न्यायालय प्रत्यर्थी को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देने का निर्देश देने में उचित नहीं था, स्वतंत्रता उक्त आवेदक की विधवा को राज्य सरकार से संपर्क करने के लिए प्रदान की गई थी क्योंकि राज्य सरकार को योग्यता के आधार पर दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन पर विचार करना था।

12. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और अभिलेखों के अवलोकन पर, हमारी राय है कि अनुलग्नक-10 के माध्यम से यह अभिनिर्धारित करते हुए कि याचिकाकर्ता पेंशन योजना के पात्रता मानदंडों और साक्ष्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, केंद्र सरकार के प्राधिकरण ने आदेश के पैराग्राफ 3 में योजना के प्रावधानों पर चर्चा की है और उसके बाद उन सामग्रियों पर विचार किया है जिन्हें रिट-याचिकाकर्ता द्वारा विचार के लिए लाया गया था। जिन कमियों और खामियों को पाया गया है, उन पर पूरी तरह से विस्तार से चर्चा की गई है और उन सभी कारणों का उल्लेख किया गया है जिनका उल्लेख रिट आवेदन के अनुलग्नक-10 में तथ्य की तथ्यात्मक त्रुटि के रूप में नहीं किया गया है। यदि रिट आवेदन के अनुलग्नक-10 में दिए गए कारणों को रिट-याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी कानूनी या वैध आधार पर लागू नहीं किया जाता है, तो न्यायिक घोषणाओं पर विचार करते हुए, जिन्हें हमने ऊपर संदर्भित किया है, हमारी राय में, रिट न्यायालय को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार के दायरे को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं थी।

13. रिट आवेदन के अनुलग्नक-7 के अवलोकन से पता चलता है कि रिट न्यायालय ने नीति और एक नया आदेश पारित करने के अनुसार मामले पर सख्ती से पुनर्विचार करने के लिए मामले को केंद्र सरकार को वापस भेज दिया था। नीति के

तहत पेंशन का भुगतान करने के लिए याचिकाकर्ता की पात्रता पर विचार करने के मामले में सक्षम प्राधिकारी और केंद्र सरकार की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। इस स्थिति में एक बार सक्षम प्राधिकारी ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया और पाया कि याचिकाकर्ता योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं था और योजना के संदर्भ में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं था, यदि याचिकाकर्ता को पेंशन प्राप्त करने के योग्य घोषित करने वाला आक्षेपित आदेश पारित किया जाता है, तो इसमें कोई गलती नहीं पाई जा सकती है।

14. विद्वत न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में यह विचार रखा है कि यह वह मामला नहीं था जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज झूठे पाए गए थे या वास्तविक नहीं पाए गए थे, हमारी राय में, याचिकाकर्ता-निजी प्रतिवादी की पात्रता के संबंध में विचार को केवल उस हद तक प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित न्यायिक समीक्षा का दायरा रिट न्यायालय को केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर अपनी राय दर्ज करने की अनुमति नहीं देता है, जब तक कि ऐसे निष्कर्ष विकृत नहीं पाए जाते हैं। वर्तमान मामले में, हमें अनुलग्नक-10 में निहित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

15. नतीजतन, 2010 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं० 1112 में विद्वत रिट न्यायालय के आक्षेपित फैसले को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है और रिट आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

16. अपील को स्वीकार किया जाता है।

(राजेन्द्र मेनन, मुख्य न्यायाधीश)

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

अरविंद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।